न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या– 12/19 तारीख रज्जू–17/07/19

1. जितेन्द्र कुमार मीणा पुत्र रतनलाल जाति मीना उम्र 43 साल निवासी गम्भीराा तह0 मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर।

———अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रकाश पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी गम्भीराा तह0 मलारना डूगंर।
2. धनबाई पत्नि बेवा धूलीलाल जाति मीना निवासी गम्भीराा तह0 मलारना डूगंर।
3. विकास पुत्र धूलीलाल जाति मीना जरिये संरक्षिका मां धनबाई निवासी गम्भीराा तह0 मलारना डूगंर।
4. कल्पना पुत्री धूलीलाल जाति मीना जरिये संरक्षिका मां धनबाई निवासी गम्भीराा तह0 मलारनाडूगंर।
5. रचना पुत्री धूलीलाल जाति मीना निवासी गम्भीराा तह0 मलारना डूगंर।
6. सपना पुत्री धूलीलाल जाति मीना निवासी गम्भीराा तह0 मलारना डूगंर।
7. कालूराम पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी गम्भीराा तह0 मलारना डूगंर।
8. तहसीलदार तहसील मलारना डूगंर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 30.8.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम गम्भीरा के नामान्तकरण संख्या 383 में पारित निर्णय दिनांक 31/03/92 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार तहसील मलारना डूगंर ने ग्राम गम्भीरा में रतनलाल की स्थित खातेदारी भूमि का रतनलाल के फौत हो जाने पर उक्त भूमि का विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 383 में पारित निर्णय दिनांक 31/03/92 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्टस् 1 लगायत 7 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पों सं0 8 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। अदालत मातहत से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्टस् सं0 1 व 7 के पिता एवं रेस्पोडेन्टस् सं0 3 लगायत 6 के बाबा रतनलाल के देहान्त होने के बाद जो विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया गया उसमें अपीलान्ट जितेन्द्र कुमार मीना के स्थान पर जोन सिंह पुत्र रतनलाल का नाम नामान्तकरण में गलत तस्दीक कर दिया गया है। अपीलान्ट का नाम जोनसिंह न होकर जितेन्द्र कुमार है। जिसे नामान्तकरण में सही किया जाना निहायत आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड ,पहचान पत्र, पैन कार्ड, में भी अपीलान्ट का नाम जितेन्द्र पुत्र रतनलाल है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 383 में पारित निर्णय दिनांक 31/03/92 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त विरासत नामान्तकरण ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर खोला गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है, साथ ही नामान्तकरण सं0 383 में पारित निर्णय दिनांक 31/03/92 यथावत करने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड ,पहचान पत्र, पैन कार्ड, में भी अपीलान्ट का नाम जितेन्द्र पुत्र रतनलाल है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को न सुनकर निर्णय पारित किया है। जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा उभय पक्षों को सुना जाकर ही नियमानुसार रतनलाल के वास्तविक वारिसान की जांचकर नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। जिसका अदालत मातहत की पत्रावली में अभाव पाया गया है।

अतः मेरे अभिमत मैं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण संख्या 383 निर्णय दिनांक 31/03/92 वाके ग्राम गम्भीरा निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार मलारना डूगंर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभय पक्षों की सुनवाई कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.8.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर